Wherever excess payment to an exporter is reported by the Audit Authorities, the same is adjusted from the subsequent CCS claims. However, the payments are not withheld.

Exports of leather and leather Goods

1909. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the exports of leather and leather goods are expected to fall short of the target this year ;

(b) if so, to what extent the fall is going to be in terms of value, the reasons thereof ; and

(c) what are the details of steps Government have taken to contain the fall in leather exports ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) Based on the trend of exports, it is expected that overall there would be a shortfall of about Rs. 300 crores out of a target of Rs. 4768 crores in the exports for the current year 1993-94. Within this, the exports of leather footwear, which was an item identified under the Extreme Focus Programme, is expected to exceed the target.

The short-fall is due to a number of reasons which include recessionary conditions in our major markets and the conditions prevailing in the countries comprising of the former Soviet Union.

The Government has taken steps inter-alia to strengthen marketing campaigns in our major markets such as USA and European Community, promote integrated product development with a view to strengthen the supply base for value added quality products and in removing constraints in the easy availability of raw-material, components and consumables for the leather industry. The Customs duty on some of the raw-materials, components and consumables used in the leather industry has also been reduced substantially.

औने-पौने दामों पर बाजार का पाटा जाना रोकने के लिए शुल्क लगाया जाना

1910. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राधा किशन मालवीय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारतीय उत्पादकों को सस्ते दामों पर उन देशों को भेजे जाने पर अंकुश लगाने के लिए उन पर औने-पौने दामों पर बाजार का पाटा जाना रोकने सम्बन्धी शुल्क लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या भारत भी कतिपय उत्पादों पर औने-पौने दामों पर बाजार का पाटा जाना रोकने सम्बन्धी शुल्क लगाएगा जिससे भारतीय उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) पाटनरोधी शुल्क यह प्रमाणित होने के बाद ही लगाया जाता है कि डंपिंग हुई है और इस तरह के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है अथवा घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तव में बाधा आएगी । आयातक देशों के जांच प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले मामले की जांच कर लेते हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से इस्पात पाइपों एवं ट्यूबों, सल्फैनिलिक एसिड, स्टेनलैस स्टील की तार-छड़ों और स्टेनलैस स्टील के फ्लैंजेज़ के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । ईईसी ने भारत से ऑक्सैलिक एसिड, पोलिएस्टर यार्न और सिन्थेटिक स्टेपल फाइबर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है ।

सरकार ने ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के सभी ग्रेडों के पोली विनाइल क्लोराइड रेजिन व्हाइट फ्री फ्लोविंग पाउडर (पेस्ट, बैटरी अथवा इमल्शन ग्रेड से इतर) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं।

किसी भी निर्यात उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू सप्लायरों की तुलना में इस उत्पाद की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Anti-Dumping Measures

1911. SHRI ASHOK MITRA :

SHRI SURESH KALMADI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) What are the details of the anti-dumping measures implemented by Government during the current fiscal year to discourage unfair entry of foreign products.

(b) the details of anti-dumping measures adopted during the year against Indian products by foreign Government ; and

(c) whether Government propose to strengthen/anti-dumping legislation to protect the industries of the country from the onslaught of import following the conclusion of the GATT Uruguay Round of discussions ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) On 18 January, 1994, anti-dumping duties on import of poly vinyl chloride resin white free flowing powder of all grades (other than paste, battery or emulsion grade) oreginating from Brazil, Mexico, Republic of Korea and USA have been imposed.

(b) Since April, 1993, USA has imposed anti-dumping duties on imports of stainless steel wire rods and stainless steel flanges, and Australia has imposed anti-dumping duty on import of sodium cynide from India.

(c) Anti-dumping action can be taken only if there is dumping which causes injury to domestic industry. The Uruguay Round negotiations have resulted in improved rules governing anti-dumping actions and our law will need to be amended to give effect to the improved rules.

काफी उत्पादकों द्वारा उत्पादों पर नाम लिखा जाना

1912. **श्री अजीत जोगी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य वस्तुओं की तरह कॉफी उत्पादकों को अपने उत्पादों पर नाम लिखने की अनुमति देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने कॉफी अधिनियम में संशोधन किया है जिसमें प्रत्येक बागान के उत्पादन का अधिकतम 50 प्रतिशत तक कोटा मुक्त बिक्री के लिए आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत उत्पादक अपने उत्पाद को चाहे तो केन्द्रीय बाजार में बेच सकता है या निर्यात के लिए बेच सकता है या अपने उत्पाद को सीधे विदेशी खरीददारों को निर्यात कर सकता है। लेकिन, उत्पादक अपने उस उत्पाद पर अपने ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे वे सीधे बेचते हैं।

International Fairs Organised by ITPO

1913. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the details of International Fairs organised by the India Trade Promotion